



भारत सरकार Government of India
वित्त मंत्रालय Ministry of Finance
राजस्व विभाग Department of Revenue
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
Central Board of Indirect Taxes & Customs



राष्ट्रीय सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी,
National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics,

पालसमुद्रम, एन एच - 44, गोरंटला मंडल, श्री सत्य साई जिला, आंध्र प्रदेश-515251

Palasamudram, NH-44, Gorantla Mandal, Sri Sathya Sai Dist, Andhra Pradesh – 515251

ई-मेल/E-mail: estt-nacinpsm@gov.in

टेलीफोन Phone: 08556-229750

दिनांक / Date: As e-signed

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER NO. 38/2025

कार्यालय आदेश संख्या 19/202 दिनांक 20.06.2025, जिसके द्वारा श्री मयंक शर्मा, उप निदेशक को आईएसटी प्रकोष्ठ का नियमित कार्यभार आवंटित किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए तथा श्री पद्मराज ई., उप निदेशक के कार्यमुक्त होने के फलस्वरूप, श्री मयंक शर्मा, उप निदेशक निम्नलिखित कार्यभार ग्रहण करेंगे :

- साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (सीएफएल) का प्रबंधन
- प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली का विकास
- मीडिया प्रयोगशाला का प्रबंधन

In partial modification to the Office Order No. 19/2025 dated 20.06.2025 wherein Shri Mayank Sharma, Deputy Director has been allocated IST Wing as his regular charge and consequent to relief of Shri Padmaraj E, Deputy Director, Shri Mayank Sharma, Deputy Director will take over the following charges:

- Management of Cyber Forensics Laboratory (CFL)
- Development of Training Management System
- Management of Media Lab

2. कार्यालय आदेश संख्या 30/2025 के अनुसार श्री पद्मराज ई., उप निदेशक द्वारा धारित शेष कार्यभार कार्यालय आदेश संख्या 27/2025 के अनुसार लिंक अधिकारियों को सौंपा जाएगा।

Remaining charges held by Shri Padmaraj E, Deputy Director as per the Office Order No. 30/2025 will be handed over to Link Officers as per the Office Order No. 27/2025.

3. यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the competent authority.

(डॉ. स्टीफन एल Dr. Steephen L)
अपर महानिदेशक Addl. Director General

प्रतिलिपि / Copy to:

1. Individuals concerned.
2. PS to DG,
3. All Pr. ADG /ADGs,
4. All ADD / JDs,
5. Webmaster for uploading on website.